N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0342 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/12/2025 11:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 23/12/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:28 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/12/2025 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/12/2025 11:11:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 300 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** KARYALAY VARISHTH PARBANDHAK, RICO JAISALMER

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SIKANDAR KHAN
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** AHMAD KHAN
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	678, VIVEKANAND MARG, GANDHI COLONY, JAISALMER, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	678, VIVEKANAND MARG, GANDHI COLONY, JAISALMER, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAWANI SHANKAR SWAMI		पिता:BAJRANG LAL SWAMI	1. NATHUSAR GATE KE BAHAR,LALIMAYE PARK KE PASS,NAYASAHAR,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर विषयः- रिश्वत मांगने वालें कार्मिक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवानें बाबत।महोदयजी,मै सिकन्दर खान पुत्र श्री अहमद खान उम्र 40 साल निवासी गांधी कॉलोनी जैसलमेंर का निवासी हूं। मेरा निवेदन है कि मेरी भाभी श्रीमति हुसैना पत्नि श्री बरकत अली के नाम से एफ 29 किशनघाट रीकों औधोगिक क्षेत्र जैसलमेंर में प्लॉट खरीदा था। उक्त प्लॉट में रीकों के मार्फत स्टोन कटर एवं कारविंग कार्य शुरू कर प्रारम्भिक स्तर का कार्य शुरू किया गया मगर उक्त भूखण्ड की रीकों द्वारा निर्धारित लीज डीड की शर्ते पूरी न होनें के कारण दिनांक 23.10.2024 को आंवटन निरस्त किया गया। मेरे द्वारा उक्त निरस्त आदेश के विरूद्ध अपील करनें पर दिनांक 30.07.2025 को उक्त भूखण्ड एफ 29 को रीकों जैसलमेंर द्वारा पुनः बहाल कर दिनांक 04.01.2026 तक आवश्यक समस्त दस्तावेज कों रीकों ऑफिस प्रस्तुत करनें का समय दिया गया है। मै दिनांक 13.12.2025 को रीकों के सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी श्री भवानी शंकर स्वामी से मिलकर वांछित दस्तावेज बिजली बिल, सीए सर्टिफिकेट व अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित तारीख से पूर्व प्रस्तुत करनें हेतु कहा तथा कहा कि दस्तावेज प्रस्तुत करनें से पूर्व मुझे 50,000 रूपयें देने होगे साथा ही मुझे धमकाया गया कि उक्त राशि आज ही दो नही तों मै आपका भूखण्ड पुनः निरस्त कर दूंगा और आपका भूखण्ड को बहाल नही होनें दूंगा। इसलियें मै डर गया और मेरे पास से उपलब्ध 20,000 रूपयें श्री भवानी शंकर स्वामी नें ले लिये। शेष राशि 30,000 रूपयें व वांछित दस्तावेज लेकर दिनांक 22.12.2025 को बुलाया है। साथ ही कहा यदि आप 30,000 रूपयें दोगे तो ही मै आपके दस्तावेज ऑनलाईन करूगा अन्यथा दस्तावेज ऑनलाईन नही करनें पर आपका भूखण्ड आंवटन रीकों द्वारा पुनः निरस्त कर दिया जाएगा।मै श्री भवानी शंकर बाबू को मेरे जायज काम करनें की एवज में रिश्वत नही देकर रिश्वत राशि लेतें हुए रंगे हाथों पकडवाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरे श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी सें कोई दुश्मनी व लेन देन बकाया नही है। कानूनी कार्यवाही करनें की कृपा करे।दिनांकः- 20.12.2025भवदीयएसडीसिकन्दर खान पुत्र श्री अहमद खानजाति मुसलमान उम्र 41 साल निवासीमकान नम्बर 678, विवेकानन्द मार्ग गांधीकॉलोनी जैसलमेर मोबाईल नम्बर कार्यवाही पुलिस दिनांक 20.12.2025 समय 12.30 PMइस समय परिवादी श्री सिकन्दर खान पुत्र श्री अहमद खान जाति मुसलमान उम्र 41साल निवासी मकान नम्बर 678, विवेकानन्द मार्ग, गांधी कॉलोनी जैसलमेर के साथ उपस्थित होंकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कां कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर में पेश की। परिवादी श्री सिकन्दर खान की हस्तलिखित रिपोर्ट जिस पर श्री सिकन्दर खान के हस्ताक्षर है, के अवलोकन एवं पूछताछ के आधार पर मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जानें पर नियमानुसार मांग सत्यापन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस को सुपर्द कर परिवादी से परिचय करवाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लानें हेतु निर्देशित किया गया।एसडी सिकन्दर खान, एसडी किशनसिंह चारण, एसडी कुलदीपसिंह,एसडी प्रवीण कुमार 20.12.2025(ओमप्रकाश चौधरी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुरदिनांक 20.12.2025 समय 01.15 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री सिकन्दर खान से मजीद दरियाफ्त एवं परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृश्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री सिकन्दर खान से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवादी श्री सिकन्दर खान व श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समझाईश की गई। परिवादी श्री सिकन्दर खान के द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा मुझे दिनांक 22.12.2025 कों रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के लिए बुलाया है। जिस मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को हिदायत दी की आप परिवादी से सम्पर्क करके दिनांक 22.12.2025 को जैसलमेंर पहुचंकर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर मांग सत्यापन की कार्यवाही आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी रीकों जैसलमेर से करके लावें एवं कार्यवाही की गोपनीयता बरततें हुए मन् उप अधीक्षक पुलिस को बतावें।दिनांक 21.12.2025 वक्त 05.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल

वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को सुपुर्द कर आवष्यक हिदायत के साथ जैसलमेंर जाकर आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी से मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री छैलाराम कानि. नें बताया कि मै रात्रि में ट्रेन या बस से जोधपुर से रवाना होकर जैसलमेंर पहुचकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन करवाकर उपस्थित हो जाउगा।दिनांक 22.12.2025 वक्त 01.34 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री छैलाराम कानि. द्वारा जरिये दूरभाष बताया कि मै निर्देशानुसार दिनांक 22.12.2025 को समय 3.30 ए. एम. पर बस से जोधपुर से रवाना होकर जैसलमेंर 10 ए.एम. पर पहुचा। परिवादी नें जरिये दूरभाष सम्पर्क कर अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास उपस्थित आया। जिस पर परिवादी के साथ मोटर साईकिल से रीकों कार्यालय के पास पहुचे। जहां पर मेरे द्वारा ब्यूरों का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को आवश्यक हिदायत के साथ सुपर्द कर मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु रीकों कार्यालय भेजा गया। मै अपनी उपस्थिति छिपातें हुए रीकों कार्यालय के आसपास ही खडा रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास उपस्थित आया। जिस पर मैनें कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड परिवादी से प्राप्त कर उसको स्वीच ऑफ कर अपनी अभिरखा में सुरक्षित रखा। साथ ही परिवादी नें मुझे बताया कि मेरी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी से मेरे कार्य के सम्बन्ध में बात हो गई है। मुझे दिनांक 23.12.2025 को 30,000 रूपयें लेकर बुलाया है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री छैलाराम कानि. को हिदायत दी गई कि आप परिवादी को रिश्वत राशि 30,000 रूपयें की व्यवस्था करके परिवादी को साथ लेकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में लेकर कार्यालय उपस्थित होवे।वक्त 03.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवष्यकता होनें के कारण एक पत्र श्रीमान उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग प्रथम जोधपुर के नाम मुर्तिब कर कार्यालय पत्रांक 4164 दिनांक 22.12.2025 जारी कर पत्र की एक प्रति देकर कार्यालय के श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को भी गवाहान लानें हेतु वाणिज्य कर विभाग जोधपुर के लिए रवाना किया गया।समय 05.00 पी.एम. पर श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 मय दो स्वतन्त्र. गवाहान को साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। साथ आयें गवाहान से मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी अपना नाम श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री जसबीर सिंह जाति सिख उम्र 45 साल निवासी प्लॉट नम्बर 137, अजीत कॉलोनी रातानाडा जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपायुक्त प्रशासन वाणिज्य कर विभाग जोधपुर एवं श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री हेमाराम जाति मेघवाल उम्र 27 साल निवासी ग्राम सिहाणी तहसील रामसर जिला बाडमेंर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय उपायुक्त प्रशासन वाणिज्य कर विभाग जोधपुर होना बताया। दोनों गवाहान को कार्यालय में आनें के मन्तव्य से अवगत कराया गया। दोनों गवाहान को गोपनीय कार्यवाही हेतु दिनांक 23.12.2025 को समय 8.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।समय 06.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही हेतु दो कानि., एक कानि. चालक की आवश्यकता होना बताया । जिस पर उनके द्वारा एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण सें श्री लालाराम कानि. नम्बर 638 व श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 कों भिजवानें हेतु श्री पारस सोनी से वार्ता करनें हेतु निवेदन किया गया। जिस पर श्रीमान द्वार मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री लालाराम कानि. चालक व श्री ओमप्रकाश कानि. को एसीबी चौकी जोधपुर पर दिनांक 23.12.2025 को समय 8.30 ए.एम. पर उपस्थित होनें हेतु पाबन्द कर दिया गया है। साथ ही श्रीमान द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि स्पेशल यूनिट जोधपुर से श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 व स्पेशल यूनिट जोधपुर का सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5788 श्री लालाराम कानि. चालक एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर का सरकारी वाहन लेकर उपस्थित हो जायेगा।दिनांक 23.12.2025 समय 08.00 ए. एम. पर कार्यालय में पूर्व से पाबन्द शुदा श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 उपस्थित मिला। जिसनें मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै और परिवादी रात्रि में ही जोधपुर आ गये थे। परिवादी नें मुझे कहा कि रात्रि विश्राम मेरे रिश्तेदार के यहां पर करूगा। सुबह कार्यालय में 8 - 8.30 ए.एम. तक उपस्थित हो जाउगा। श्री छैलाराम कानि. नें कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ शुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपर्द किया गया। परिवादी के उपस्थित होनें पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ता को सुना जायेगा।समय 08.30 ए.एम. पर कार्यालय में पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र. गवाहान श्री कुलदीप सिंह व श्री प्रवीण कुमार व ब्यूरों स्टाफ भी कार्यालय में हाजिर आयें है।समय 08.45 ए.एम. पर कार्यालय में पूर्व से पाबन्द शुदा श्री देवाराम कानि नम्बर 373, श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260, श्री लालाराम कानि. चालक नम्बर 638 मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5788 लेकर उपस्थित हुए है।समय 08.50 ए.एम. पर परिवादी श्री सिकन्दर खान उपस्थित आया और मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि रिश्वत में आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी द्वारा मांगी गई 30,000 रूपयें की व्यवस्था कर उपस्थित हुआ हूं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी सें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछताछ की तों परिवादी श्री सिकन्दर खान नें मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री छैलाराम कानि. दिनांक 22.12.2025 को मेरे पास डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर जैसलमेंर उपस्थित आये। जिस पर मै और श्री छैलाराम अपनी मोटर साईकिल से रीकों कार्यालय जैसलमेर पहुचे। जहां पर श्री छैलाराम कानि. द्वारा ब्यूरों का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर चालू करके मुझे सुपर्द कर रीकों कार्यालय जैसलमेंर के लिए रवाना किया गया। मै रीकों कार्यालय जैसलमेंर गया तों मेरी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी सें मेरे काम के

सम्बन्ध में वार्ता हुई। जिनके द्वारा मेरे से 30,000 रूपयें कल दिनांक 23.12.2025 को लेकर उपस्थित होनें बाबत कहा था। इसके बाद मै रीकों कार्यालय जैसलमेंर से वापिस छैलाराम कानि. के पास आया। जिनकों डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द किया गया। जिनके द्वारा स्वीच ऑफ कर अपनी अभिरक्षा में रखा। इसके बाद श्रीमान से जरिये दूरभाष वार्ता के अनुसार मुझे आरोपी को दी जानें वाली 30,000 रूपयें की व्यवस्था करके एसीबी चौकी जोधपुर पर उपस्थित होनें हेतु कहा था। जिस पर मैनें 30,000 रूपयें की व्यवस्था करके श्री छैलाराम कानि. के साथ जोधपुर आ गया। जिस पर परिवादी के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तां परिवादी द्वारा बतायें गये तथ्यां की ताईद हुई। आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कार्यालय रीकों जैसलमेंर द्वारा 30,000 रूपयें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। सम्पूर्ण हालात श्रीमान ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये।समय 09.05 ए.एम. पर परिवादी श्री सिकन्दर खान में उपस्थित है। वाणिज्य कर विभाग से उपस्थित आये दो स्वतन्त्र गवाह् भी उपस्थित है। दोनो उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवादी श्री सिकन्दर खान का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी श्री सिकन्दर खान द्वारा लिखित रिपोर्ट दिनांक 20.12.2025 का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री सिकन्दर खान व आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी रीकों कार्यालय जैसलमेंर के मध्य दिनांक 22.12.2025 को हुई रिष्वति राषि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है के मुख्य मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट बनाने का निर्णय लिया। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर परिवादी श्री सिकन्दर खन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों पर किये गये।वक्त 09.45 ए.एम. पर दोनों रूबरू गवाहान के समक्ष मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर नें परिवादी सिकन्दर खान पुत्र श्री अहमद खान जाति मुसलमान उम्र 41 साल निवासी मकान नम्बर 678, गांधी कॉलोनी, विवेकानन्द मार्ग जैसलमेंर को संदिग्ध श्री भवानी शंकर वरिष्ठ लिपिक कार्यालय रीकों जैसलमेंर को रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में दी जानें वाली रिश्वत राशि पेश करनें हेतु कहा तों परिवादी श्री सिकन्दर खान ने अपनें पास से 500-500 रूपयें के 60 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 30,000/- रूपयें पेश किये परिवादी द्वारा उपरोक्त रूबरू गवाहान के मेरे समक्ष पेश किये गये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30,000/-रूपये के नोटों पर कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि सुपुर्द कर अखबार पर रखवाये जाकर उक्त नोटो पर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सिकंदर खान की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह् श्री कुलदीप सिंह से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 30,000/- रूपये के नोट श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से ही परिवादी के पहने हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं,पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर आप अपने मोबाईल नं   से मन् उप अधीक्षक पुलिस के   के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/कॉल अथवा दोनो हाथ सिर पर दो बार फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् उप अधीक्षक पुलिस कों एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कॉच के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार के उपर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को भी श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जलाकर नष्ट करवाया गया। कॉच की गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह

दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् निरीक्षक पुलिस के पास कुछ आकस्मिक खर्च के 5000 रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित अलमारी में श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से रखवाया जाकर पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत कर कार्यालय मे छोड़ा गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वति राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई।वक्त 10.40 ए.एम. पर मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29, श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री लालाराम कानि. चालक मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5788 एवं स्वतन्त्र गवाह श्री कुलदीप सिंह एवं प्रवीण कुमार एवं परिवादी श्री सिकन्दर खान के एवं श्री प्रेमसिंह कानि. चालक मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5806 एवं एक निजी वाहन से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर जिसमें नया मैमोरी कार्ड डाला हुआ एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर श्हर से जैसलमेंर के लिए रवाना हुए।उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वक्त 03.15 पी.एम.पर जैसलमेंर पहुचें। जहां पर दोनों सरकारी वाहन व निजी वाहन कों रूकवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 से चालू करवाकर परिवादी श्री सिकन्दर खान को सुपर्द कर रीकों कार्यालय में रिश्वत राशि लेन देन के लिए रवाना किया गया। परिवादी के पीछे पीछे श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, श्री भूरसिह हैड कानि. नम्बर 91, श्री भवंरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 कों रीकों कार्यालय के आसपास अपनी उपस्थिति छिपातें हुए रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के दोनों सरकारी वाहन व निजी वाहन से रीकों कार्यालय के आसपास गोपनीय रूप सें खडा करवाकर शेष ब्यूरों जाब्ता के साथ दोनों वाहनां एवं निजी वाहन में रिश्वत राशि लेन देन के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए।समय करीब 03.28 पी.एम. पर परिवादी श्री सिकन्दर खान नें मन् उप अधीक्षक पुलिस कों मेरे मोबाईल नम्बर पर अपनें मोबाईल नम्बर से रिश्वत राशि लेन देन हो जानें का बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें रीकों कार्यालय के गेट पर वाहन को रोका तों परिवादी श्री सिकन्दर खान मुख्य गेट पर उपस्थित मिला। जिसको पूछा तों उसनें ईशारा कर बताया कि ऑफिस के पास वालें भवन में गया है। इसके बाद परिवादी श्री सिकन्दर खान के पास से ब्यूरों का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर श्री छैलाराम कानि. से स्विच ऑफ करवाकर प्राप्त कर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपनें सुरक्षित कब्जें में रखा। आईन्दा उक्त रिश्वत राशि लेन देन की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के अस्थाई निवास आरएफसी भवन रीकों कार्यालय के पास रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री सिकन्दर खान के एवं ब्यूरो स्टाफ के समक्ष सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री भवानी षंकर स्वामी के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 कों सरकारी मोबाईल फोन सें उक्त हाथ धोवन की कार्यवाही की विडीयोग्राफी करनें हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी से नाम पूछा तों उसने अपना नाम श्री भवानी शंकर बताया। पास में खडे परिवादी की ओर ईशारा कर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री भवानी शंकर से पूछा की इनकों जानतें हो तों उसनके कहा कि नही जानता हूं। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी को पूछा तों उसने कहा कि मेरे भाभीजी के नाम प्लॉट था, जिसकों रीकों ने कैन्सल कर दिया था, जिसकों जयपुर से करवाकर लाया। जिसका 1 जनवरी 2026 तक टाईम था । जिसके लिए डाक्यूमेन्ट जमा करवानें थें, जिसके लिए इन्होनें 50,000 रूपयें मांगे। 20,000 रूपयें पहलें दे चुका था। 30,000 रूपयें आज लिये है। इनकों सीए सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक बिल, परजेच बिल ईत्यादि आज देने थे। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछा कि आपनें 30,000 रूपयें दिये तों उसनें कहा कि हॉं आज मैनें 30,000 रूपयें दिये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें पूछा कि कहां दिये तों परिवादी नें कहा कि ऑफिस में पीछे वाली कुर्सी पर दिये, उसके बाद जेब में डालकर बाहर आ गये। मैनें कहा रूकों तों ये वहां से निकलकर बाहर आ गये। फिर मै बाहर आया जब तक आप आ गये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी से पूछा तों उन्होनें कहा कि साहब मैनें कोई पैसे नही लिये। इसके बाद आरोपी नें कहा कि इनका कोई प्लाट ही नही है। इसके बाद साफ पानी की बोतल मंगवाकर प्लास्टिक की दो गिलास मे साफ पानी भरवाया गया। आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर के हाथ धोवन की कार्यवाही परिवादी व रूबरू गवाहान व ब्यूरों जाब्ता के रूबरू आरम्भ की गई। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकाल कर उक्त प्लास्टिक गिलास के पानी में डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के

तैयार घोल में आरोपी श्री भवानी षंकर स्वामी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया । फिर दूसरी प्लास्टिक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल. एच.-2 अंकित किया गया।इसके बाद आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी के अस्थाई निवास स्थान के कमरें की रूबरू गवाहान, परिवादी व ब्यूरों स्टाफ के रिश्वत राशि की तलाश करवाई गई तों रिश्वत राशि आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी के कमरें में कालें रंग के ट्रोली बैग के अन्दर कपडों की नीचें रखी मिली। जिन्हें रूबरू गवाहान व परिवादी के फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों का मिलान हेतु गवाह श्री कुलदीप सिंह को फर्द पेशकशी सुपर्द कर एवं रिश्वत राशि गवाह श्री प्रवीण कुमार के पास है, का फर्द पेशकशी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 500-500 रूपयें के भारतीय मुद्रा के कुल 60 नोट मूल्य कुल 30,000 रूपयें होना पाई गई। जिनका गवाहान द्वारा बोल बोल कर मिलान किया गया। जिस पर उक्त राशि 30000 रूपयें भारतीय मुद्रा की हूबहू पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:- (1.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 QP 044358, (2.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 MR 609201, (3.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 CH 821023, (4.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 SL 340559, (5.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 WT 819116, (6.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 TD 871481, (7.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 NL 730058, (8.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 VM 304352, (9.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 GP 445711, (10.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 GK 668778, (11.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 NH 420731, (12.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866207, (13.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 WG 347174, (14.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0DE 997405, (15.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866214, (16.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866206, (17.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 PL 605170, (18.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866215, (19.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866210, (20.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 LV 724823, (21.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 DK 067774, (22.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866209, (23.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866211, (24.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 FS 418996, (25.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866212, (26.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866208, (27.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 EA 227940, (28.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866213, (29.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 DP 819743, (30.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 TU 796925, (31.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 FM 861111, (32.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 MT 237905, (33.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 FH 035073, (34.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 GB 846329, (35.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 MD 591088, (36.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 NH 561226, (37.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 LS 057407, (38.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 NL 273873, (39.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 DU 993414, (40.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 SB 799937, (41.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 VB 641324, (42.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 NK 969723, (43.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 CT 668965, (44.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 GG 357668, (45.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BK 866205, (46.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 UF 920015, (47.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 SR 666852, (48.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 CC 137355, (49.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 WU 093720, (50.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 VL 758950, (51.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 GL 081439, (52.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 HV 778113, (53.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 VT 085091, (54.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 MU 932847, (55.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 DC 877215, (56.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 UF 751774, (57.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 BE 794197, (58.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 AV 288010, (59.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 HD 227490, (60.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 NS 810773,उक्त भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 60 नोट के कुल राषि 30,000/-रूपये को एक सफेद कपड़े के टुकड़े से सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये।परिवादी श्री सिकन्दर खान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका परिवादी की निशादेही पर रूबरू गवाहान के समक्ष श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 सें मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशानुसार मूर्तिब करवाया गया। बाद नक्शा मौका मूर्तिब कर नक्शा मौका शामिल रनिंग नोट किया गया।इसके बाद उक्त बैग का जहां से रिश्वत राशि रूबरू गवाहान के बरामद हुई, का एक प्लास्टिक गिलास में साफ पानी डलवाकर सोडियम कार्बोनेट मिला कर प्लास्टिक गिलास में बैग के अन्दर का जहां पर रिश्वत राशि रखी हुई थी, का एक सफेद कपडे की चिन्दी से रगड रगड कर धोवन लिया

गया तों घोल का रंग मटमैला आया। जिससे सभी ने मटमैला होना स्वीकार किया गया। उक्त घोल को अलग अलग कांच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शील्ड मोहर कर मार्क टी 1 व टी 2 अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस चिन्दी से रगड रगड कर बैग का धोवन लिया गया, उक्त चिन्दी को सुखा कर कपडे की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर सम्बन्धितगत के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा ब्यूरो ली गई।आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी द्वारा रीकों कार्यालय में परिवादी श्री सिकन्दर खान सें रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी थी, जिस पर आरोपी के लिए कमरें से दूसरी पेन्ट की व्यवस्था कर पहनी हुई काले रंग की पेन्ट उतरवाई जाकर पेन्ट की दाहिनी जेब को उल्टा कर प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट डलवाकर जेब का धोवन लिया गया तों जेब का धोवन मटमैला आया। जिससें सभी नें मटमैला होना स्वीकार किया गया। उक्त धोवन को दो कांच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शील्ड मोहर कर मार्क पी 1 व पी 2 अंकित का सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कालें रंग की पेन्ट को सुखाकर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली मे डालकर शील्ड मोहर कर सम्बन्धितगत के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरों ली गई। आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी की जामा तलाशी गवाह श्री प्रवीण कुमार से लिरवाई गई तों आरोपी के कब्जें से एक मोबाईल फोन ओपों कम्पनी का मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर व मोबाईल में सिम नम्बर जीयां कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी का विभागीय परिचय पत्र जों रीकों से जारी हो रखा है, कों भी कब्जा ब्यूरों लिया गया।परिवादी के पैण्डिग कार्य की पत्रावली हेतु आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी सें पूछा गया तों उनके द्वारा कार्यालय में संधारित होना बताया व अपनी टेबल पर पडी होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी को साथ लेकर रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय में गया तों वहां पर कार्यालय में विनित सिंह राठौड कम्प्युटर ऑपरेटर उपस्थित मिला। जिसकी उपस्थिति में आरोपी द्वारा परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपर्द की जिसका अवलोकन किया गया तों मैसर्स न्यू सरीफा स्टोन कटिग एण्ड कार्विग प्लॉट नम्बर 29, औधोगिक एरिया किषनघाट जैसलमेंर लिखा हुआ है, जिसमें पेज संख्या 01 से 10 तक नोटषीट व पेज संख्या 01 से 221 तक पृश्ठ है, जिनकों कब्जा ब्यूरों लिया गया। कार्यालय में कोई अधिकारी उपस्थित नही होने पर आईन्दा जोधपुर पहुंचकर उक्त पत्रावली की फोटो प्रति शामिल रंनिग नोट की जावेगी और मूल पत्रावली सक्षम अधिकारी को सुपर्द की जावेगी। कार्यालय को लॉक कर श्री विनित सिंह राठौड कम्प्युटर ऑपरेटर को किसी सक्षम अधिकारी को सुपर्द करनें हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस द्वार निर्देशित किया गया।परिवादी श्री सिकन्दर खान की अपनी भाभी श्रीमति हुसैना के नाम किशनघाट औधोगिक क्षेत्र में प्लॉट को रीकों द्वारा वर्श 2024 में निरस्त करना व परिवादी द्वारा अपील करनें पर प्लॉट पुनः बहाल करनें पर उक्त भूखण्ड पर कार्य चालू करवानें व पत्रावली में कागजात ऑनलाईन करनें की एवज में आरोपी श्री भवानी षंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर द्वारा रिश्वत राशि मांगने बाबत दिनांक 20.12.2025 को एसीबी चौकी जोधपुर में उपस्थित होकर श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों रिपोर्ट देना, परिवादी की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशानुसार दिनांक 22.12.2025 को परिवादी श्री सिकन्दर खान के साथ रीकों कार्यालय जैसलमेंर में श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 को भिजवाकर मांग सत्यापन करवाना, रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी द्वारा परिवादी की पैण्डिग कार्य करनें की एवज में 30,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना एवं आज दिनांक 23.12.2025 को वक्त रिष्वत राषि लेन-देन के दौरान आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी द्वारा रीकों कार्यालय जैसलमेंर स्थित अपने सरकारी कार्यालय में 30,000 रूपयें प्राप्त कर आरएफसी भवन रीकों कार्यालय के पास अपनें अस्थाई निवास में कमरें में रख देना, जहां से रूबरू गवाहान के 30,000 रूपयें बरामद होना, आरोपी के दोनो हाथो का धोवन हल्का गुलाबी एवं मटमैला प्राप्त होना, रिष्वत राषि बरामदगी स्थल ट्रोली बैग जहां से रिश्वत राशि रूबरू गवाहान बरामद हुई उक्त बैग के अन्दर का धोवन मटमैला प्राप्त होना, आरोपी के पहनी हुई पेन्ट जिसमें परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी थी, जिसका धोवन हल्का मटमैला प्राप्त होना, पेन्ट का कब्जा ब्यूरों लेना ईत्यादि कृत्य के आधार पर अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी पुत्र श्री बजरंग लाल स्वामी जाति स्वामी उम्र 33 साल निवासी नथूसर गेट के बाहर, लालीमय पार्क के पास पुलिस थाना नया षहर जिला बीकानेंर हाल अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी पुत्र श्री बजरंग लाल स्वामी जाति स्वामी उम्र 33 साल निवासी नथूसर गेट के बाहर, लालीमय पार्क के पास पुलिस थाना नया शहर जिला बीकानेंर हाल अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई।वक्त 09.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा

आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी पुत्र श्री बजरंग लाल स्वामी जाति स्वामी उम्र 33 साल निवासी नथूसर गेट के बाहर, लालीमय पार्क के पास पुलिस थाना नया षहर जिला बीकानेंर हाल अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना जरिये मोबाईल उनके भाई श्री योगेन्द्र को एवं मौके पर उपस्थित कार्यालय के कम्प्युटर ऑपरेटर श्री विनित सिह राठौड को रूबरू दी गई।वक्त 11.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के दोनों सरकारी वाहन व निजी वाहन सें मय आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर एवं जब्त किये गये प्रादर्श रिश्वत राशि शील्ड शुदा 30,000 रूपयें, आरोपी का विभागीय परिचय पत्र, आरोपी का ओपो कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम के, आरोपी के दोनों हाथों व पेन्ट की जेब व ट्रोली बैग,के अन्दर के धोवन के शील्ड शुदा मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, टी 1 व टी 2, पी 1 व पी 2, चिन्दी का कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, कपडे की थैली में पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं पत्रावली एवं मौके पर तैयार किये गये दस्तावेज सहित रीकों कार्यालय जैसलमेंर से जोधपुर के लिए रवाना हुआ।दिनांक 24.12.2025 वक्त 04.15 एएम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना मन् उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंचा। हालात इस प्रकार है कि जैसलमेंर से रवाना होकर पावटा अस्पताल पहुंचा। जहां पर आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी का पावटा सेटेलाईट अस्पताल सें स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। इसके बाद आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में जमा करवाकर आरोपी की निगरानी हेतु श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 को मामुर कर चौकी पर आयें। आरोपी को स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर शामिल रंनिग नोट किया गया। प्रकरण से संबंधित रिश्वत राशि शील्ड शुदा 30,000 रूपयें, आरोपी का विभागीय परिचय पत्र, आरोपी का ओपो कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम के, आरोपी के दोनों हाथों व पेन्ट की जेब व ट्रोली बैग,के अन्दर के धोवन के शील्ड शुदा मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, टी 1 व टी 2, पी 1 व पी 2, चिन्दी का कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, कपडे की थैली में पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉडर के मैमोरी कार्ड जिसमें जिसमें दिनांक 23.12.2025 को परिवादी श्री सिकन्दर खान व आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी रीकों कार्यालय जैसलमेंर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में अलमारी में रखा गया। जिसकी फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी। स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री सिकन्दर खान को प्रातः 10.30 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया।वक्त 10.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द षुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री कुलदीप सिंह व श्री प्रवीण कुमार व परिवादी श्री सिकन्दर खान कार्यालय हाजा में उपस्थित आये।वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री सिकन्दर खान एवं एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री सिकन्दर खान पुत्र श्री अहमद खान जाति मुसलमान उम्र 41साल निवासी मकान नम्बर 678, विवेकानन्द मार्ग, गांधी कॉलोनी जैसलमेर व आरोपी श्री भवानी षंकर स्वामी पुत्र श्री बजरंग लाल स्वामी जाति स्वामी उम्र 33 साल निवासी नथूसर गेट के बाहर, लालीमय पार्क के पास पुलिस थाना नया षहर जिला बीकानेंर हाल अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिश्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर के मध्य दिनांक 22.12.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेश राम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री सिकन्दर खान ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी की होना होना बताया। दोनो आवाजों की पहचान परिवादी श्री सिकन्दर खान द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो डीवीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं डीवीडीयां तैयार करने के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया गया। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो डीवीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक डीवीडी आरोपी के लिये एवं एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के तैयार की गई। उक्त दोनो खुली हालत की डीवीडीयां एवं सफेद कपड़े की थैली शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड डाली हुई को मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।वक्त 01.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सिकन्दर खान एवं एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री सिकन्दर खान पुत्र श्री अहमद खान जाति मुसलमान उम्र 41साल निवासी मकान नम्बर 678, विवेकानन्द मार्ग, गांधी

कॉलोनी जैसलमेर व आरोपी श्री भवानी षंकर स्वामी पुत्र श्री बजरंग लाल स्वामी जाति स्वामी उम्र 33 साल निवासी नथूसर गेट के बाहर, लालीमय पार्क के पास पुलिस थाना नया षहर जिला बीकानेंर हाल अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिश्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर के मध्य दिनांक 23.12.2025 को हुई रिश्वत राशि लेन देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेश राम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेन देन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री सिकन्दर खान ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी की होना होना बताया। दोनो आवाजों की पहचान परिवादी श्री सिकन्दर खान द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो डीवीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेन देन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं डीवीडीयां तैयार करने के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया गया। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो डीवीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक डीवीडी आरोपी के लिये एवं एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के तैयार की गई। उक्त दोनो खुली हालत की डीवीडीयां एवं सफेद कपड़े की थैली शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड डाली हुई को मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।वक्त 03.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि की श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260. से सरकारी मोबाईल फोन में मेमोरी कार्ड लगाकार विडियोग्राफी की गई थी। जिसकी रूबरू गवाहान व परिवादी श्री सिकन्दर खान के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर से श्री गणेश राम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से मेमारी कार्ड में रिकॉर्डिग वार्ता की दो डीवीडी तैयार करवाई जाकर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल फोन में से निकालकर एक लिफाफे में डालकर लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर जाकर शील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड कपडे की थैली में शील्ड शुदा व दोनों डीवीडी जो खुली हालात में है, कों मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को जमा मालखाना की गई।वक्त 04.00 पी.एम. पर पूर्व से निर्देशानुसार श्री अवनीश कुमार सोनी चौकी पर आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी का सेवा विवरण लेकर उपस्थित आये। जिसकों शामिल रनिग नोट किया गया। साथ ही परिवादी के पैण्डिग कार्य की मूल पत्रावली रूबरू गवाहान के दिनांक 23.12.2025 कों कब्जा ब्यूरों ली गई थी, जिसकों श्री अवनीश कुमार सोनी पुत्र श्री कुन्दन लाल सोनी जाति सोनी उम्र 54 साल निवासी एम-303, अरिहन्त अदिता, पाल गंगाणा रोड जोधपुर, मोबाईल नम्बर को मूल पत्रावली सुपर्द कर पत्रावली की फोटो प्रति करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपर्द की गई। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मूल पत्रावली श्री अवनीश कुमार सोनी को सुपर्द कर परिवादी का वैध कार्य समय पर पूर्ण करनें हेतु निर्देशित किया गया।अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री सिकन्दर खान की अपनी भाभी श्रीमति हुसैना के नाम किशनघाट औधोगिक क्षेत्र में प्लॉट को रीकों द्वारा वर्श 2024 में निरस्त करना व परिवादी द्वारा अपील करनें पर प्लॉट पुनः बहाल करनें पर उक्त भूखण्ड पर कार्य चालू करवानें व पत्रावली में कागजात ऑनलाईन करनें की एवज में आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर द्वारा रिश्वत राशि मांगने बाबत दिनांक 20.12.2025 को एसीबी चौकी जोधपुर में उपस्थित होकर श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों रिपोर्ट देना, परिवादी की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशानुसार दिनांक 22.12.2025 को परिवादी श्री सिकन्दर खान के साथ रीकों कार्यालय जैसलमेंर में श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 को भिजवाकर मांग सत्यापन करवाना, रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी द्वारा परिवादी की पैण्डिग कार्य करनें की एवज में 30,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना एवं आज दिनांक 23.12.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी द्वारा रीकों कार्यालय जैसलमेंर स्थित अपने सरकारी कार्यालय में 30,000 रूपयें प्राप्त कर आरएफसी भवन रीकों कार्यालय के पास अपनें अस्थाई निवास में कमरें में रख देना, जहां से रूबरू गवाहान के 30,000 रूपयें बरामद होना, आरोपी के दोनो हाथो का धोवन हल्का गुलाबी एवं मटमैला प्राप्त होना, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल ट्रोली बैग जहां से रिश्वत राशि रूबरू गवाहान बरामद हुई उक्त बैग के अन्दर का धोवन मटमैला प्राप्त होना, आरोपी के पहनी हुई पेन्ट जिसमें परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी थी, जिसका धोवन हल्का मटमैला प्राप्त होना, पेन्ट का कब्जा ब्यूरों लेना ईत्यादि कृत्य के आधार पर अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है।अतः श्री भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेंर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(किशनिंसह चारण)उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशनिंसह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भवानी शंकर स्वामी पुत्र श्री बजरंग लाल स्वामी, जाति स्वामी, उम्र 33, साल निवासी नथूसर गेट के बाहर, लालीमय पार्क के पास, पुलिस थाना नया शहर, जिला बीकानेर हाल अनुभाग अधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीको जैसलमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कैलाश दान जुगतावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 413 पर अंकित है। (सतेन्द्र कुमार) महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1932-35 दिनांक 26.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- सलाहकार /A/M/, रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर । महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAILASH DAN JUGTAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Satyendra Kumar
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/12/2025 11:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): SATYENDRA KUMAR

Rank (पद): IG (Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)